न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 12/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

अशरफीबाई पत्नि चुन्नीलाल जाति जाटव निवासी नारेड़ा तहसील व जिला बारां **(अप्रार्थीया)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर एड़. (अप्रार्थीया)

आदेश दिनांक– 14.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीया प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीया के विवादित आराजी ख0नं0 76 रकबा 0.20 है. किस्म नहरी 3 वाके ग्राम जालेड़ा तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में मूल खसरा नंबर 37 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला की किस्म नहरी 3 का अवैधानिक रूप से घीस्या पुत्र नाथ्या जाति जाटव निवासी नारेड़ा के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये घीस्या पुत्र नाथ्या को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर बारां (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:25:41 IST
Reason: SelfAttested

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीया को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीया द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी परन्तु जवाब पेश करने हेतु इन्कार करने पर जवाब अप्रार्थीया बन्द किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीया एवं अप्रार्थीया स्वंय भी अनुपस्थित रहने पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

4— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम जालेड़ा की आराजी सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015—24 में साबिक खसरा नंबर 37 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै. मु. नाला के हाल खसरा नंबर 76 रकबा 0.20 कायम किये जाकर धीस्या पुत्र नाथ्या के खाते दर्ज की गयी। जिस वक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.नाला थी, जो परिवर्तन तथा आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 76 रकबा 0.20 है. किस्म नहरी 3 बने हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं थी। धीस्या पुत्र नाथ्या को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6— हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2015—2024 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 37 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का आवंटन/नियमन किया जाकर मुताबिक सेटलमेंट जमाबन्दी संवत 2038—57 खसरा नंबर 76 रकबा 0.20 है. किस्म नहरी 3 धीस्या पुत्र नाथ्या के खाते दर्ज कर दी गई। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038—57 नये खसरा नम्बर 76 रकबा 0.20 है., जो वर्तमान में अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:25:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज०)

7— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि धीस्या पुत्र नाथ्या को आवंटित/नियमनशुदा आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला के बाद सेटलमेंट संवत 2038—57 नये खसरा नम्बर 76 रकबा 0.20 है. बने है। उक्त

आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.नाला दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन घीस्या पुत्र नाथ्या को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीया के वर्तमान में वाके ग्राम जालेड़ा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 0.20 है. किस्म नहरी 3, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 37 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला से बना है जिसका घीस्या पुत्र नाथ्या को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:25:41 IST
Reason: SelfAttested